भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 1908

दिनांक 22.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की समस्या

1908. श्री मनोज तिवारीः

श्री जॉन बर्लाः

श्री नायब सिंह सैनीः

श्री संगम लाल गुप्ताः

श्री रवि किशनः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में भू-जल स्तर गिरने के कारण पेयजल की समस्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर बंगाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देशभर में भू-जल स्तर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्य-योजना तैयार की है;

(ङ) क्या इस समस्या को हल करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली कार्यान्वित की गई है अथवा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 14.09.2020 की स्थिति के अनुसार 77.69% जनसंख्या वाली 79.16% ग्रामीण बसावटों में न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 19.34% जनसंख्या वाली 17.89% ग्रामीण बसावटों में 40 लीटर प्रति

व्यक्ति प्रतिदिन से कम सेवा स्तर के हिसाब से पीने योग्य जल की व्यवस्था है जबकि जल स्रोतों के साथ 2.97% जनसंख्या वाली 3.16% ग्रामीण बसावटों में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं।

(ग) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित वर्ष 2020 में पूर्व मानसून अवधि के लिए जल स्तर की राज्य-वार गहराई अनुबंध-I में दी गई है।

(घ) वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के जरिए देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है। इस मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से केन्द्रीय अंशदान 2.08 लाख करोड़ रुपए है।

(ङ) और (च) वर्ष 2019-20 में सरकार ने देश में जल संसाधनों के सुधार हेतु 'जल शक्ति अभियान' का आरंभ किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारम्परिक जल भण्डारों और टैंकों का नवीकरण, बोरवैल पुनः उपयोग/पुनर्भरण, वॉटर शैड विकास और गहन वनीकरण जैसे पांच प्रमुख कार्यों के माध्यम से भू-जल पुनर्भरण शामिल है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन के लिए कार्य संबंधी दिशा-निर्देशों में विभिन्न योजनाओं की निधियों का समन्वय करके वर्षा जल संचयन सहित जल संचयन और संरक्षण कार्यों के लिए निर्माण करने का प्रावधान है।

****

दिनांक 22-09-2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1908 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020 में मानसून पूर्व अवधि के लिए जल स्तर की राज्य-वार गहराई

क्र.सं.	राज्यों के नाम	विशलेषित कुओं की संख्या	जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल)	
			न्यूनतम	अधिकतम
1.	आंध्र प्रदेश **	1,348	0.05	91.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	2.70	8.56
3.	असम	126	0.39	19.00
4.	बिहार	198	0.54	9.20
5.	चंडीगढ़	11	4.23	37.35
6.	छत्तीसगढ़	408	0.20	49.80
7.	दमन एवं दीव	6	4.10	9.45
8.	दिल्ली	83	0.94	63.59
9.	गुजरात	768	0.01	52.40
10.	हरियाणा	257	0.85	51.42
11.	हिमाचल प्रदेश	70	0.30	27.48
12.	जम्मू एवं कश्मीर	196	0.50	38.42
13.	झारखंड	91	0.60	11.10
14.	कर्नाटक	169	0.12	27.80
15.	कर्नाटक **	1,308	0.40	127.50
16.	केरल	380	0.21	16.58
17.	मध्य प्रदेश	1,182	0.35	54.97
18.	महाराष्ट्र **	3,705	0.45	50.00
19.	मेघालय	19	0.34	5.74
20.	नागालैंड	1	16.75	16.75
21.	ओडिशा	923	0.01	13.22
22.	पोंडीचेरी**	43	NA	NA
23.	पंजाब	241	0.34	44.39
24.	राजस्थान	962	0.10	122.00
25.	तमिलनाडु**	2,924	NA	NA
26.	तेलंगाना**	765	0.38	49.11
27.	त्रिपुरा	20	0.77	7.78
28.	उत्तर प्रदेश	219	0.00	40.22
29.	उत्तराखंड	45	0.98	60.70
30.	पश्चिम बंगाल	513	0.17	27.25
कुल		**16,989**	**0.00**	**127.50**

1. ** राज्य सरकार का आंकड़ा।
2. एमबीजीएल = भू-स्तर से नीचे की गहराई मीटर में।
3. NA = आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।